IJCRM
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Review Article

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास

म. जमीलुर रहमान[1*], पंकज कुमार गुप्ता[2]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग बी.एन. कॉलेज, पटना, बिहार, भारत
[2]शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय पटना, बिहार, भारत

Corresponding Author: * पंकज कुमार गुप्ता

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14774172

सारांश

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ होती है। भारत में शिक्षा नीति समय–समय पर परिवर्तित होती रही है, जिससे नए कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। यह शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की भूमिका पर केंद्रित है। इसमें भारत में कौशल विकास की वर्तमान स्थिति, इसकी आवश्यकताओं, चुनौतियों तथा नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास को लेकर किए गए प्रयासों का विश्लेषण किया गया है। शोध के निष्कर्षों के आधार पर, यह अध्ययन यह दर्शाता है कि कौशल विकास को समाहित करने के लिए प्रभावी नीतिगत क्रियान्वयन की आवश्यकता है ताकि युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाया जा सके।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 21-09-2024
- **Accepted:** 27-10-2024
- **Published:** 30-12-2024
- **IJCRM:**3(6); 2024: 197-200
- **©2024, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Manuscript

जमीलुर रहमान, पंकज कुमार गुप्ता. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास. International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary.2024; 3(6): 197-200.

मुख्य शब्द: शिक्षा नीति, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, रोजगार, आर्थिक विकास, भारत में शिक्षा प्रणाली, नीति विश्लेषण

प्रस्तावना

शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव संसाधन को राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए तैयार करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा न सिर्फ ज्ञानपरक और समझपरक हो बल्कि रोजगारपरक भी हो। रोजगार परक होने के लिए विशेष कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। कौशलयुक्त श्रमशक्ति तथा आत्मनिर्भर शिक्षा तंत्र एक देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। कौशल का अर्थ किसी व्यक्ति में मौजूद उस क्षमता से है जिससे वह किसी संसाधन के मानव उपयोग हेतु तैयार करता है या किसी योजना का सफल/बेहतर क्रियान्वयन करता है। इसी तरह व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम से है जो व्यक्ति को खास व्यवसायों के लिए तैयार करने के लिहाज से बनाए जाते है। इसके अंतर्गत निश्चित कार्यक्षेत्र में महारत के साथ–साथ विशिष्ट कौशल प्रदान किए जाते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र एक शिक्षा नीति का निर्माण करता है। जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते है। भारत में भी अब तक तीन शिक्षा नीतियों का निर्माण किया जा चुका है तथा कई बार समय–समय पर इन नीतियों में संशोधन भी किया गया है।

शोध का उद्देश्य

1. भारत में कौशल विकास की स्थिति तथा जरूरत का अध्ययन करना।
2. भारत में कौशल विकास से संबंधित समस्या और चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. 'नई शिक्षा नीति में कौशल विकास हेतु किए गए प्रयासों का अध्ययन करना।
4. पूर्व की शिक्षा नीतियों की समीक्षा करना।
5. नई शिक्षा नीति में कौशल विकास हेतु प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन का आकलन करना।

पूर्व की शिक्षा नीतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी देश के शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा होती है, इसका निर्माण मानव संसाधन को तैयार करने हेतु किया जाता है ताकि वह राष्ट्र के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई शिक्षा नीति 2020 से पूर्व भारत में दो शिक्षा नीतियाँ आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भारत की पहली शिक्षा नीति थी। इस शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा पद्धति का आधारभूत ढांचा तय किया गया। इस शिक्षा नीति से संबंधित रिपोर्ट में व्यावसायिक शिक्षा को अहमियत मिली, जिसमें कहा गया कि उच्चतर माध्यमिक के अच्छी तरह से प्रशिक्षित छात्र कई तरह के काम कर सकते है और उन्हें विश्वविद्यालयों से उपाधियों की कोई जरूरत नहीं होती। रिपोर्ट में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दो अलग धाराओं का सुझाव दिया गया।

© 2024 म.जमीलुर रहमान, पंकज कुमार गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

पहली जिसमें छात्राओं को विश्वविद्यालयों में आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाए और दूसरी, जिसमें उन्हें विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार किया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट को तत्कालीन नीति में अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। जिसके कारण व्यासायिक शिक्षा को शिक्षा की मुख्य धारा में स्थान प्राप्त नहीं हो सका। देश की दूसरी शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई। इस शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यवस्थित सुनियोजित और कठोरता के साथ लागू किए जाने वाले कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना की गई ताकि रोजगार के लिए योग्यता बढ़ सके, कुशल श्रमशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच खाई कम हो सके तथा माध्यमिक के आगे शिक्षा पाने जा रहे छात्रों को एक विकल्प मिल सके। इस प्रकार इस शिक्षा नीति में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा को एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया। चूंकि इस शिक्षा को रोजगार प्रदाता कौशल के रूप में उचित स्थान और महत्व प्राप्त नहीं हो सका। फलतः यह नीति कौशल विकास की दृष्टि से प्रभावहीन ही रही। इन दोनों शिक्षा नीतियों में व्यावसायिक शिक्षा को एक अतिरिक्त ऐच्छिक विषय के अंतर्गत ही रखा गया। फलतः व्यावसायिक शिक्षा के लाभ जानने और विभिन्न नीतिगत एवं योजनागत दस्तावेजों में इसे प्रमुख स्थान दिए जाने के बावजूद भारत में इसका विस्तार सीमित ही रहा।

भारत में जनांकिकी और कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य

आज भारत जनांकिकीय लाभांश के दौर में प्रवेश कर चुका है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 के अनुसार, आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है जहाँ कि 62 प्रतिशत से अधिक आबादी कामकाजी उम्र (15–59 वर्ष) की है और 54 प्रतिशत से भी अधिक आबादी की उम्र 25 वर्ष से कम है। इस ऊर्जावान जनांकिकीय लाभांश को शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण द्वारा बेहतर मानव संसाधन के रूप में विकसित करने से न सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक बुराइयों का समाधान होगा बल्कि देश का समग्र विकास भी होगा। यह लाभांश अगले 25–30 वर्षों तक बने रहने की संभावना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा जारी पर्यावरण स्कैन प्रतिवेदन 2016 के अनुसार, चिन्हित उच्च वृद्धि वाले 24 क्षेत्रों में 2022 तक कुल 10.34 करोड़ मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। साथ ही पहले से कार्यरत लोगों के कौशल में वृद्धि की जरूरत होगी। अनुमान बताते है कि भारत की कामकाजी उम्र वाली आबादी में 2021 से 2031 के बीच हर वर्ष 97 लाख और उसके बाद के दशक 2031 से 2041 तक हर वर्ष 42 लाख लोगों का इजाफा होगा। इस प्रकार अनुभवजन्य शिक्षा पर लगातार जोर दे रही दुनिया में व्यावसायिक शिक्षा को केन्द्र में लाने की जरूरत है। वर्तमान संदर्भ में यह और भी जरूरी है क्योंकि 2018–19 की आर्थिक समीक्षा के अनुमान कहते हैं कि कुल श्रमशक्ति का 93 प्रतिशत हिस्सा अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्रा से जुड़ा है।

इसके विपरित कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य यह है कि–

1. 2004–05 से 2011–12 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण की दर 2 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर है।
2. 15 साल एवं उससे अधिक उम्र के लोगों में केवल 2.4 प्रतिशत लोगों के पास मेडिसीन, इंजीनियरिंग या फिर कृषि क्षेत्रा से संबद्ध तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट उपलब्ध है।
3. ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्र में महज 1.1 प्रतिशत है तो शहरी क्षेत्र में 5.5 प्रतिशत है।
4. शिक्षित श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा रोजगार के योग्य नहीं है क्योंकि उनके पास कोई रोजगार कौशल नहीं है।
5. एन.एस.एस.ओ. के शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर करवाए गए 68वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार
   (क) भारत में 89.2 प्रतिशत लोगों को किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला है।
   (ख) महज 2.2 प्रतिशत लोगों को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।
   (ग) इसमें भी ग्रामीण पुरुषों को मुख्यतः ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक्स के क्षेत्र में तथा महिलाओं को मुख्यतः टेक्सटाइल्स से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त हैं शहरी क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरुषों को मुख्यतः कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त है।

वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास

नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य भारत के सम्पूर्ण शैक्षिक आवश्यकताओं का पूरा करना तथा भारत को विश्व गुरु बनाना है। यह शिक्षा नीति कौशल आधारित समझ और रोजगारपरकता को लेकर बहुत ही गंभीर है। माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कौशल पर जोर देने से एकदम स्पष्ट होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को भविष्य में रोजगार के योग्य तैार करने के लिए प्रारंभिक स्तर से ही कौशल प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जा रहा है। अब उच्च प्राथमिक वर्ग से ही किसी एक व्यावसायिक कौशल को अपने विषय में शामिल करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थियों को एक दस दिन के लिए बस्तारहित पीरियड में भाग लेना होगा जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी, विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते है। स्नातक स्तर पर प्रत्येक वर्ष को महत्वपूर्ण मानकर प्रत्येक वर्ष के अध्ययन के लिए एक वर्ष के अध्ययन पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष अध्ययन पूर्ण करने पर डिप्लोमा, तीन वर्ष अध्ययन पूर्ण करने पर डिग्री तथा चार वर्ष के लिए रिसर्च का प्रमाण–पत्र देने की व्यवस्था की गई है। इंटरमीडिएट स्तर पर भी छात्रों को विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों संकायों में से किसी भी विषय को चयनित कर अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

इस नीति के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप 21वीं सदी के कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए स्कूल बोर्डों की मदद करना भी इसका उद्देश्य होगा। साथ ही दिया जाने वाला प्रगति कार्ड एक समग्र 360^0 बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइको–मोटर डोमेन में विकास की बारिकी से किए गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण, विद्यार्थी की विशिष्टताओं समेत दिया जाएगा। विद्यालयों/स्कूल कॉम्पलेक्स के छात्रों को लाभान्वित करने तथा स्थानीय ज्ञान और विशेषता को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या कोई अन्य विषय जहाँ स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है, में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति

भारत में समग्र एवं बहुविषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे वरणभट्ट की कादंबरी, शिक्षा को 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे– रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे– औषधि तथा अभियांत्रिकी और साथ ही साथ सम्प्रेषण चर्चा और वाद–संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल) भी शामिल हैं। एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास में सुंदर ढंग से वर्णित की गई है, वास्तव में आज के स्कूलों की जरूरत है, ताकि हम 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। यहाँ तक कि अभियांत्रिकी संस्थान जैसे– ITI, कला और मानविकी के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा की और बढ़ेंगे। कला और मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे। कोशिश यही होगी कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों को हासिल करें। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की खास विरासत इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अनुमान के अनुसार 19–24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत (5 प्रतिशत से कम) लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। जबकि USA में 52% जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में अत्यंत अधिक 96% पर यह संख्या काफी अधिक है। ये संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11–12 और कक्षा 8 से उपर की कक्षा में ड्रॉप आउट्स पर केन्द्रित थी। इसके अलावा व्यावसायिक विषयों के साथ 11वीं–12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अक्सर उच्चतर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश मानदंड भी व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किए गए थे, फलस्वरूप वे अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष 'मुख्यधारा की शिक्षा' या अकादिमिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे है। इसने व्यावसायिक शिक्षा के विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सीधे–सीधे आगे बढ़ने के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी वर्ष 2013 में राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है।

नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को क्रमिक रूप से एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक कक्षाओं से होते

© 2024 म.जमीलुर रहमान, पंकज कुमार गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

हुए उच्चतर शिक्षा तक जाता है। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करेगा की प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखें और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो। इस नीति में लक्षित किया गया है कि वर्ष 2025 तक, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी।

इस दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय प्ज्प्ए पॉलीटेक्निक और स्थानीय उद्योग आदि के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। स्कूलों में हब और स्पॉक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएँ भी स्थापित और सृजित की जाएगी। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की भी अनुमति होगी।

नई शिक्षा नीति में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के अधीन एक सामान्य शिक्षा परिषद् (GEC) का गठन होगा। जो व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा के साथ समन्वित करने का काम करेगा। ळम्ब् उन विशिष्ट कौशलों की पहचान करेगा जो छात्रों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान 21वीं सदी के कौशल के साथ पूर्ण विकसित शिक्षार्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से प्राप्त करना चाहिए।

स्कूली व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ

पूरे देश में व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश कम और लगभग ठहरा हुआ है। 2014 से 2017 के बीच तीन वर्षों में कक्षा 11—12 में प्रवेश लेने वाले 40ः से अधिक छात्रों ने विज्ञान विषय चुना और व्यावसायिक विषय चुनने वाले छात्रों की संख्या 2ः से भी कम रही। संख्या में इस कमी को स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के कम विस्तार का नतीजा भी कहा जा सकता है। एकीकृत जनपद शिक्षा सूचना प्रणाली ;न्क्प्ैम्द्ध 2016. 17 के अनुसार देश में केवल 4084 स्कूल राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता के ढांचे के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा दे रहे थे। वास्तव में केवल 50ः राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने व्यावसायिक शिक्षा देने वाले स्कूलों का सकारात्मक आंकड़ा दिया, जिसमें हरियाणा 990 स्कूलों के साथ सबसे आगे रहा।

नीति आयोग का स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों के प्रतिशत का विस्तृत और राज्यवार विश्लेषण करता है। सूचकांक के अनुसार संदर्भ वर्ष 2016—17 में केवल छः राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों यथा— हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू—कश्मीर, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 10ः से अधिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की गई। जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और उतराखंड में स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान ही नहीं की गई। स्थितियाँ बताती है कि भारत में विद्यालीय स्तर पर कौशल विकास हेतु किए गए प्रयास बहुत ही कम और लगभग निष्क्रिय अवस्था में है। इन चुनौतियों के अलावा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उद्योग से कम जुड़ाव प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएँ भी है।

2011—12 के सत्र से महाविद्यालयों में बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। परंतु जिन विषयों में बी. कॉम की पढ़ाई शुरू हुई, उन महाविद्यालयों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे बी.कॉम में बिना किसी पूर्व ज्ञान के दाखिला ले रहे थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि विद्यार्थी बी.कॉम करने के बाद भी अपना व्यवसाय स्थापित करने अथवा व्यवसाय मूलक क्षेत्र में अच्छी समझ का परिचय नहीं दे पाए। महाविद्यालयों में बी.कॉम शुरू करने का लाभ समाज को नहीं मिल पाया।

हमारी विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया विद्यार्थियों को व्यवसाय से अर्थात् हाथ से काम करने की प्रक्रिया से न सिर्फ दूर करती है बल्कि उसके प्रति तिरस्कार का भाव भी पैदा कर देती है। बच्चा जैसे—जैसे पढ़ता जाता है तो उसके नौकरी वो भी सरकारी नौकरी पाने की लालसा बढ़ती जाती है।

तालिका 1: व्यावसायिक शिक्षा के दायरे में आने वाले स्कूलों की संख्या

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	**आधार वर्ष (2015-16)**	**संदर्भ वर्ष (2016-17)**
बड़े राज्य		
हिमाचल प्रदेश	13.2	20
महाराष्ट्र	17	19.7
हरियाणा	9.4	18.8
जम्मू-कश्मीर	4.1	10.8
पंजाब	4.1	7.1
छत्तीसगढ़	0.5	5.8
असम	0.6	2.7
मध्य प्रदेश	0.5	0.6
उत्तर प्रदेश	0.5	0.1
तेलंगाना	0.5	0
ओडिशा	0.3	0
केरल	1.4	0
कर्नाटक	0.1	0
झारखंड	0.6	0
गुजरात	0.5	0
आधार एवं संदर्भ वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा नहीं: आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड		
छोटे राज्य		
गोवा	74	68.3
मिज़ोरम	3.2	8.4
अरुणाचल प्रदेश	5.1	1.9
मणिपुर	9	0
मेघालय	0	0
सिक्किम	23.7	0
आधार एवं संदर्भ वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा नहीं: नागालैंड और त्रिपुरा		
केंद्रशासित प्रदेश		
अंडमान निकोबार दीपसमूह	8.5	13.3
चंडीगढ़	7.1	8.5
पुदुचेरी	0.5	0
आधार एवं संदर्भ वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा नहीं: दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप		

स्रोत: स्कूल शिक्षा गुणात्मक सूचकांक, 2019

सुझाव

1. विद्यालय स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर कौशल आधारित प्रतियोगिता कराई जाए।
2. विद्यालय में व्यावसायिक विषयों में और अधिक अध्यापक भर्ती करने होंगे। कौशल से संबंधित प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में शिक्षक/प्रशिक्षक हो। साथ ही अधिक मात्रा में शिक्षक तैयार करने होंगे।
3. विद्यालयों में कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में युवा स्वयंसेवी समूहों की सहायता से विद्यार्थियों और उनके माता—पिता में इस बात की जागरूकता पैदा की जाए कि व्यावसायिक शिक्षा से किस तरह विद्यार्थियों की नौकरी और रोजगार की संभावनाएँ बढ़ाई जा सकती है।
5. उच्च स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण/रोजगार हेतु उद्योगों से संपर्क स्थापित करना सुनिश्चित किया जाए।
6. साथ ही इस व्यावसायिक कोर्स के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनसांख्यिकी तथा रोजगार की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वश्रेष्ठ है। परन्तु इस नीति में किए गए प्रावधानों का सफल क्रियान्वयन एक बहुत बड़ी चुनौती है, शिक्षण संस्थानों एवं उनसे संबंधित आधारभूत संरचना की भारत में भारी कमी है। साथ ही योग्य प्रशिक्षकों को पर्याप्त मात्रा में तैयार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि इन

© 2024 म.जमीलुर रहमान, पंकज कुमार गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

चुनौतियों पर हम विजय पाने में सफल रहे तो यह शिक्षा नीति भारतीय समाज पर दुर्गामी प्रभाव डालेगी तथा देश के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य करेगी। यह नीति प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत तथा कौशल भारत–कुशल भारत के निर्माण में अहम भूमिका अदा करेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गांधी सुनिता, सेनसरमा कुंतल, कौशल सबके लिए, योजना पत्रिका. सितम्बर 2013, पृ0 सं0 19-22.
2. नई शिक्षा नीति.2020.
3. कांत अमिताभ. युवाओं को प्रोत्साहन योजना पत्रिका. अगस्त 2019 पृ0सं0 17-19.
4. NSSO. शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर 68वें दौर की रिपोर्ट.2015.22 सितम्बर 2015.
5. गुप्ता पराग, गुप्ता मुकेश कुमार, खुराना डा0 साक्षी, सक्सेना अंकित. भारत में कौशल विकासः भविष्य की रूप रेखा, कुरूक्षेत्र. 2020 फरवरी. पृ0 सं0 9-11.
6. ठाकुर डा0 सुनिल के0, त्रिपाठी डा0 सुभ्रांशु. रोजगार के परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास, कुरूक्षेत्र. फरवरी 2020, पृ0 सं0 12-15.
7. आइप सेरा. भारत के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, कुरूक्षेत्र. फरवरी 2020, पृ0 सं0 23-26.
8. तिवारी डा0 नीलेश, शर्मा डा0 तुलिका. ग्रामीण शिक्षा में कौशल विकास, कुरूक्षेत्र. नवम्बर 2019, पृ0 सं0 38–44.
9. कुमार सर्वेश. भारतीय अर्थव्यवस्था. सार्थक प्रकाशन. 2018
10. सिंह डा0 ऋषिकेश कौशल विकास भारतीय परंपरा के नेपथ्य में, Skill Development in India: An Analitical Study, 2017. भारती प्रकाशन, बनारस पृ0 सं0 135-142.
11. शर्मा चंद्रभूषण. समावेशी विकास के लिए गुणात्मक विद्यालयी शिक्षा जरूरी, कुरूक्षेत्र नवम्बर 2019, पृ0 सं0 30-33.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2024 म.जमीलुर रहमान, पंकज कुमार गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/